

अनुमोदन हेतु प्रारूप
बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-15/2015-26(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 19-05-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए 4.20 लाख रुपये (चार लाख बीस हजार रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹4,20,000 (चार लाख बीस हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-2458 दिनांक-15.05.2015 द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए 4.20 लाख रुपये (चार लाख बीस हजार रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹4,20,000 (चार लाख बीस हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹4,20,000 (चार लाख बीस हजार रुपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- उप मुख्यशीर्ष-01 -फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1- उप शीर्ष-0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, विपत्र कोड-P2415017960104, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष -3106- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि ₹80,00,000 (अस्सी लाख रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. विश्वविद्यालय को राशि उपलब्ध कराते समय यह निर्देश दिया जाय कि विश्वविद्यालय RTGS या NEFT से ही छात्रों को भुगतान करे।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

26(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 19-05-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

26(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 19-05-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

19.05.15

(मनीष कुमार)

सहायक

बजट शाखा

कृषि विभाग, बिहार
पटना।

19.05.15

(नागेन्द्र सहनी)

सहायक सांख्यिकीज्ञ

-सह-

प्रभारी पदाधिकारी, बजट
कृषि विभाग, बिहार पटना।

19/5/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृषि निदेशक

बिहार, पटना।